<u>श्री ओम फैब और अन्य के मामले में प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>19/1/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 12.01.2026 को दो आरोपी व्यक्तियों प्रेम देवी लूनिया और पायल चोकसे के नाम पर अर्जित दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनकी कीमत 53.50 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 4.65 करोड़ रुपये) है।

सीबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा दायर लिखित शिकायत के आधार पर मेसर्स श्री ओम फैब (प्रोप्राइटर रणजीत लूनिया) और अन्य के खिलाफ दिनांक 24.05.2018 को एफआईआर संख्या आरसी-292018ए0007 दर्ज की थी। इसके बाद, सीबीआई ने दिनांक 16.12.2019 को आरोपपत्र भी दाखिल किया, जिसमें सीबीआई ने पाया कि रणजीत लूनिया की स्वामित्व वाली कंपनियों मेसर्स श्री ओम फैब, मेसर्स श्री बाबा टेक्सटाइल और मेसर्स श्री लक्ष्मी फैब को 9.95 करोड़ रुपये (एनपीए की तिथि तक ब्याज सहित 10.932 करोड़ रुपये) की ऋण सीमा स्वीकृत की गई थी। रणजीत लूनिया ने पैनल वैल्यूअर मयूर शाह, बैंक अधिकारियों/अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और झूठे और गलत व्यावसायिक रिकॉर्ड देकर, जाली दस्तावेज बनाकर और गिरवी रखी संपत्तियों की फर्जी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैंक को धोखा दिया। इसके अलावा, लूनिया ने उक्त नकद-क्रेडिट सीमा का उपयोग वास्तविक उद्देश्यों के लिए करने के बजाय, ऋण राशि को विभिन्न बैंक खातों में बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में नकद में निकाल लिया गया और इसका उपयोग सोना खरीदने और गृह ऋण चुकाने आदि के लिए किया गया।

उपरोक्त एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मामले की जांच की और पहले आरोपी व्यक्तियों के परिसरों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3.67 करोड़ रुपये की मूल्यवान वस्तुएं बरामद हुईं।

पीएमएलए जांच के दौरान यह पता चला कि दो अचल संपत्तियों (एक प्रयाग रेजिडेंसी में और एक सिएस्टा ड्वेलिंग में) के आवास ऋण का पुनर्भुगतान ऋण खातों से धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से किया गया था, और इसलिए, दिनांक 12.01.2026 का वर्तमान पीएओ जारी किया गया है।

ईडी द्वारा अब तक जब्त/कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान संचयी बाजार मूल्य लगभग 8.30 करोड़ रुपये है।

इस मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।